साहित्य

राष्ट्र से संयुक्त राष्ट्र तक स्थापित होने की अभिलाषा

डॉ. कृष्ण कुमार मिश्र

वरिष्ठ विज्ञान लेखक। विज्ञान पर कुल 25 पुस्तकें, तथा 300 से ज्यादा लेख प्रकाशित। आत्माराम पुरस्कार, राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा भूषण, होमी जहांगीर भाभा स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र (TIFR), मुंबई में असोशिएट प्रोफेसर।

10 जून, 2022 हिंदी भाषा के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित बहुभाषावाद संबंधी एक प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख हुआ। प्रस्ताव में बहुभाषावाद तथा समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की सहकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी। यह संयुक्त राष्ट्र के कामकाज के तरीके में आये एक बड़े बदलाव का संकेत है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी जरूरी कामकाज और सूचनाओं को इसकी आधिकारिक भाषाओं के अलावा दूसरी भाषाओं जैसे- हिंदी, बांग्ला और उर्दू में भी जारी किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छह आधिकारिक भाषाएं हैं। ये हैं- अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश।

भारत सरकार ने हिंदी के प्रचार-प्रसार को उच्च प्राथमिकता दी है और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसकी मान्यता और इसके प्रयोग में वृद्धि के लिए निरंतर उपाय कर रही है। हिंदी पहले से ही यूनेस्को की नौ कामकाजी भाषाओं में से एक है। वर्ष 2018 से ही भारत संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के साथ साझेदारी कर रहा है। इसका लक्ष्य हिंदी भाषा में संयुक्त

राष्ट्र की पहुंच को बढ़ाना और दुनिया भर में हिंदी बोलने वाले लोगों को जोड़ना है। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट और इसके इंटरनेट मीडिया खातों के माध्यम से हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के समाचार पहले से ही प्रसारित किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित समाचार निम्नलिखित प्लेटफार्मों के माध्यम से हिंदी में प्रसारित किया जाता हैरू- यू.एन. न्यूज की वेबसाइट (https://news-un.org/hi/), ट्विटर हैंडल /Uninhindi, इंस्टाग्राम हैंडल unitednationshindi, यू. एन. फेसबुक हिंदी पेज, और एक साप्ताहिक यू.एन. न्यूज-हिंदी ऑडियो बुलेटिन (https://soundcloud.com/un.news.hindi)।

यू.एन. हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर 50,000, इंस्टाग्राम पर 29,000 और फेसबुक पर 15,000 फॉलोअर्स हैं। इन माध्यमों पर हर साल करीब 1000 पोस्ट प्रकाशित होती हैं। हिंदी यू.एन. न्यूज वेबसाइट 13 लाख वार्षिक इंप्रेशन के साथ इंटरनेट सर्च इंजन में शीर्ष दस में अपना स्थान बनाये हुए है। भारत सरकार ने हिंदी के प्रचार-प्रसार को उच्च प्राथमिकता दी है और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसकी मान्यता और इसके प्रयोग में वृद्धि के लिए निरंतर उपाय कर रही है। ज्ञातव्य है कि हिंदी पहले से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की शैक्षिक इकाई, यूनेस्को की नौ कामकाजी भाषाओं में शामिल है।

भाषते इति भाषा

भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात संप्रेषित की जाती है। कहते हैं, 'भाषते इति भाषा'। यानी जो बोली जाए, वह भाषा होती है। मौखिक भाषा ध्वनियों का समुच्चय है जिसके जरिये किसी समाज या राष्ट्र के लोग अपने मनोगत भावों तथा विचारों का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं। भाषा के बारे में कहा जाता है कि वह भावों और विचारों की वाहिनी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। ये हैं- असमी, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू, उर्दू, सिंधी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली तथा नेपाली। ये सभी भारतीय भाषायें हैं। भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को खड़ी बोली में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया था। वह भारत संघ के कामकाज की भाषा बनी। उस समय यह तय किया गया था कि हिन्दी का प्रचार-प्रसार, सामासिकता तथा इसकी सर्वस्वीकार्यता के लिए प्रयास किए जाएंगे। सहूलियत के लिए अगले 15 वर्षों तक सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी को कायम रखने का प्रावधान किया गया। लेकिन उसके बाद समय-समय पर राष्ट्रपति के अध्यादेश के अनुसार अंग्रेजी को सरकारी कामकाज के लिए विस्तार मिलता गया। इससे हिन्दी की अनिवार्यता तथा उसके सशक्तिकरण पर उतना जोर नहीं दिया जा सका। नतीजा यह हुआ कि हिन्दी को वह स्थान आज तक नहीं मिल सका जो उसे कभी का मिल जाना चाहिए था।

जनभाषा हिन्दी

हिन्दी सच्चे अर्थों में भारत की जनभाषा है। वह एक मजबूत संपर्क भाषा है। वह जन-जन की भाषा है चाहे वह किसी भी वर्ग, समुदाय, या संप्रदाय का हो। हिन्दी प्रायः उत्तर-मध्य भारत के सभी राज्यों में पढ़ी, लिखी, बोली तथा समझी जाने वाली भाषा है। उत्तर-पूर्व, पश्चम, तथा दक्षिण के राज्यों में भी हिन्दी बड़ी मजबूती से मौजूद है। तीर्थयात्रियों, सैलानियों के लिए यह परस्पर संवाद की भाषा है। समूचे भारत में कहीं भी चले जाएं, हिन्दी से काम चल

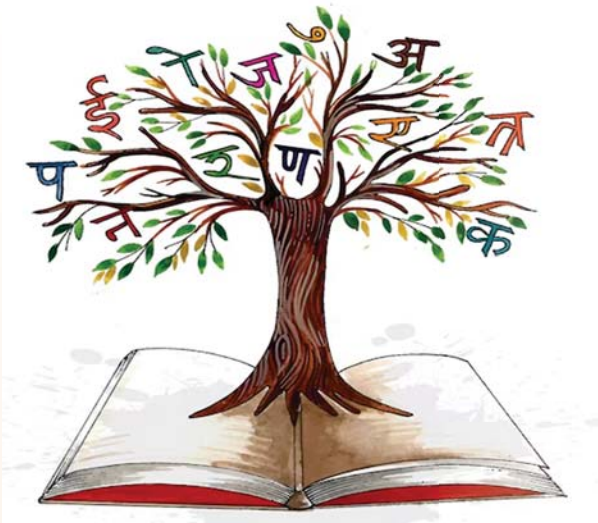

जाता है। हिन्दी सदा से साधु, संतों, महात्माओं, प्रवचनकर्ताओं, की भाषा रही है। लेकिन जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात चल रही थी तो कुछ लोगों ने हिन्दी का इसलिए विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे दूसरी भाषाओं का अहित होगा। जब कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की परिकल्पना इस रूप में ही की गई थी कि अपने-अपने राज्यों में प्रांतीय भाषाएँ ही अपने पूरे अधिकार के साथ अपनी-अपनी प्रभावी भूमिकाएँ निभाएँगी। जो भूमिका हिंदी की हिंदीभाषी राज्यों में होगी, वहीं भूमिका हिंदीतर प्रांतों में उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की होगी। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ उनका तालमेल बनाने में मददगार होगी। जहाँ उनका अधिकार होगा, वहाँ तो हिंदी का कोई दखल होगा ही नहीं। लेकिन कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के दुराग्रह के चलते हिन्दी पर राजनीति की गयी, तथा दुष्प्रचार किया गया। ऐसे ही कुछ लोगों ने अंग्रेजी को सीने से चिपका कर रखा है। उन्हें अंग्रेजी पर आपत्ति नहीं थी, लेकिन हिन्दी से विरोध था। अँग्रेजी भाषा, हिंदी सहित समस्त भारतीय भाषाओं को नुकसान पहुंचा रही है।

राष्ट्रभाषा के मायने

कहावत है, राष्ट्रभाषा के बिना कोई राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। आजादी के पहले से लेकर आज तक देश के सभी राष्ट्रनायकों तथा महापुरुषों ने देश के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की वकालत की है। अफसोस, कि हिन्दी को उसका वाजिब हक आज तक नहीं मिल सका है। धीरे-धीरे लोग निराश होते जा रहे हैं। भाषा को जातीय चेतना कमजोर हो रही है। स्वभाषा के प्रति अनुराग कम होता जा रहा है। हिन्दी की जातीय चेतना का ह्रास हो रहा है। वैसे भी बहुत से लोग यह मानते हैं कि हिन्दी-भाषी प्रान्तों में भाषायी चेतना का अभाव हमेशा से रहा है। आखिर ऐसे कितने लोग हैं जो हिन्दी को अपनी भाषा के रूप में मानते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। उत्तर तथा मध्य भारत के प्रांतों की बोर्ड की परीक्षाओं में हर साल लाखों छात्रों का हिन्दी विषय में फेल होना यह क्या साबित नहीं करता है कि हिन्दी की पढ़ाई-लिखाई का स्तर कहां पहुंच गया है। हिन्दी प्रदेशों के छात्रों के लिए एक विषय के तौर पर हिन्दी गौण होती जा रही है। वे उसे सिर्फ परीक्षा के समय थोड़ा बहुत पढ़कर पास हो जाना चाहते हैं। उन्हें हिन्दी के लेखकों, कवियों, उनकी कृतियों तथा साहित्यिक अवदानों से बहुत ज्यादा लेना-देना नहीं है। वे हिन्दी साहित्य में गहरे उतरने की इच्छा नहीं रखते। इन सबके सामाजिक, समाज-वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कारण हैं।

राष्ट्रभाषा का प्रश्न

महामना पंडित मदनमोहन मालवीय जी ने महात्मा गांधी को एक सम्मेलन के लिए भेजे गए पत्र में कहा था कि भाषा माता के समान है। माता पर हमारा जो प्रेम होना चाहिए, वह हम लोगों में नहीं है। हमें अब अपनी मातृभाषा की और उपेक्षा करके उसकी हत्या नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी देश की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के प्रबल समर्थक थे और इस रूप में अँग्रेजी से उनका

जबरदस्त विरोध भी था। वे कभी नहीं चाहते थे कि देश को हम अँग्रेजों से तो आजाद करा लें, लेकिन अँग्रेजी के आगे नतमस्तक रहें। इसका कारण एकदम सीधा था। अँग्रेजी प्रभु वर्ग की भाषा थी और आज भी वह अपने इस अभिजात्य चरित्र को बनाए हुए है। महात्मा गाँधी जी ने सन् 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर पुरुषोत्तम दास टंडन को एक पत्र में लिखा था, 'मेरे लिए हिन्दी का प्रश्न तो स्वराज का प्रश्न है।' इसके बाद गाँधी जी ने दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार सभा के द्वारा हिन्दीतर भाषी प्रांतों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार कराया। गांधी जी समझते थे कि पूरे देश की जनता को अँग्रेजी सिखा पाना न तो संभव होगा, और न ही उचित। ऐसे में देश में कभी भी असली स्वराज नहीं आ सकता। सिर्फ शासक वर्ग का रंग बदलेगा, मानसिकता नहीं। यह आज के भारत की एक कड़वी सच्चाई है।

इस सच्चाई को स्वतंत्रता के 76 साल बाद गांधी जी के उस कथन में देखा जा सकता है- 'अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला है तो बेशक अँग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज देश के करोड़ों भूखों, निरक्षर भाई-बहनों और दलितों तथा वंचितों का हो, और इन सबके लिए होने वाला हो, तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है।' विश्व के प्रायः सभी देशों ने अपने ही देश की भाषा को शिक्षा-दीक्षा के लिए स्वीकार किया। यूरोप के स्विट्ज़रलैंड सरीखे नन्हें से देश ने भी अपनी भाषा को अपने यहाँ शिक्षा का माध्यम बनाया है। भारत में अंग्रेजी को बढ़ावा देने के पीछे ईस्ट इण्डिया कंपनी का शासन रहा है। अट्ठारहवीं सदी के अंत तक हिन्दुस्तान में अँग्रेजी राज को मजबूती देने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों और बाबुओं की आवश्यकता महसूस की गई। उच्चाधिकारियों के स्तर पर तो अँग्रेजों की ही नियुक्ति होती थी, मगर निचले स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में अँग्रेजों की नियुक्ति संभव नहीं थी। इस मजबूरी में भारतीयों को अँग्रेजी में शिक्षित करने के बारे में सोचा गया। लार्ड मैकाले इस विचार का प्रणेता था जिसने भारतीयों को सदा के लिए मानसिक गुलाम बनाना चाहा था। वह भारतीयों के बीच से ही एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहता था जो तन से हिन्दुस्तानी होगा, लेकिन मन से अंग्रेज। उसका मकसद भारत में ऐसी शिक्षा-व्यवस्था कायम करना था जिससे भारतीय जीवन-शैली और लोक-संस्कृति का पश्चिमीकरण हो जाए।

औपनिवेशिक नीति में हिन्दी

लार्ड मैकाले की नीति बहुत ही स्पष्ट थी। उसकी सोच थी कि अँग्रेजी शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर भारतीयों को मात्र उतनी ही शिक्षा दी जाए, जिससे कि वे अच्छे नौकर साबित हो सकें। वह चाहता था कि पढ़ा-लिखा भारतीय विचारों से बिल्कुल पश्चिमपरस्त हो जाए। भारतीय केवल खून और रंग की दृष्टि से हिंदुस्तानी हों! किंतु अपनी रुचि, भाषा, भावों और विचारों की दृष्टि से अँग्रेज हों। अफसोस की बात यह है कि आज देश में अंग्रेजी भाषा का साम्राज्यवाद फिरंगियों के चले जाने पर भी कायम है। हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे हिन्दी माध्यम के विद्यालय पिछड़ते जा रहे हैं तथा उनकी अनदेखी हो रही है। उसके विपरीत शहरों में गली, मुहल्लों, छोटे नगरों, कस्बों तथा गांवों तक में जगह-जगह अंग्रेजी माध्यम के तथाकथित कॉन्वेन्ट स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं। यह दीगर बात है कि ज्यादातर इन कान्वेन्ट स्कूलों में खुद अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ अन्य विषयों के पठन-पाठन का स्तर दयनीय है। हिन्दुस्तानी समाज में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का मोह किस कदर गहरा होता जा रहा है, यह एक नितांत विचारणीय विषय है। एक भ्रांति जो प्रायः अंग्रेजीदां लोगों द्वारा जोर-शोर से फैलायी जाती रही

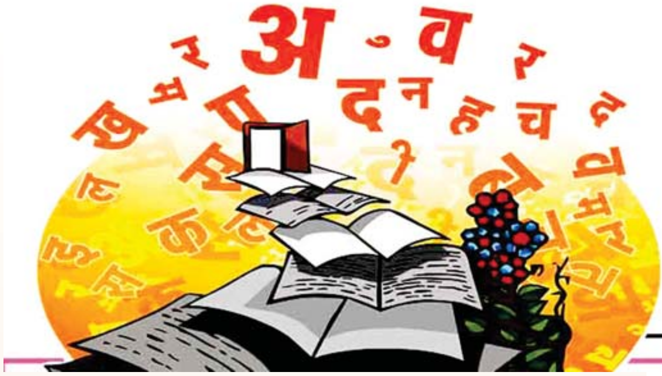

है, वह यह है कि हिन्दी अभी इतनी संपन्न नहीं है कि उसमें उच्च शिक्षा तथा शोध किया जा सके। सच्चाई यह है कि आज हिन्दी में विज्ञान तथा तकनीकी की पुस्तकें बहुत हैं। तकनीकी शब्दों के लिए शब्दावली आयोग द्वारा तमाम विषयों के लिए पारिभाषिक शब्दकोश तैयार किये गये हैं। हिन्दी में ढेरों शब्दकोश, समान्तर कोश, पारिभाषिक कोश तैयार हो चुके हैं। हिन्दी की शब्द-संपदा ९ लाख के ऊपर है। जरूरत सिर्फ इच्छा शक्ति की है। यदि संकल्प हो तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी सहित तमाम व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा पढ़ाई हिन्दी माध्यम में संभव है।

हमारे देश का शिक्षित वर्ग अँग्रेजी के मकड़जाल में फँस गया है। उसे अपनी ही भाषा से अरुचि जैसी हो गयी है। उसे यकीन है कि अंग्रेजी हमारे देश में सत्ता की भाषा है। ओहदे की भाषा है, शासन तथा प्रशासन की भाषा है। इसे लैंग्वेज आफ पॉवर कहा जाता है। इसलिए सत्ता तथा नौकरशाही के उच्च पायदान पर पहुंचने के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है। जिस दिन देश आजाद हुआ उसी दिन गांधी जी ने कहा था कि- अगर मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम (अँग्रेजी) से दी जाने वाली शिक्षा बंद करा दूँ और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरंत बदलवा दूँ। अँग्रेजी को ज्ञान की भाषा समझना राष्ट्रीय विपत्ति है। इतिहास में अँग्रेजी को विदेशी शासन की बुराइयों में से सबसे बड़ी बुराई माना जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो भारतीय मानस को विदेशी भाषा के संजाल के मुक्त हो जाना चाहिए।

बाज़ार और हिन्दी

कहते हैं, बाजार के चलते इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट माध्यमों में हिन्दी की उपस्थिति तेजी से बढ़ी है। इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। पत्रकारिता, संचार माध्यमों, व्यावसायिक उद्यमों, विज्ञापनों, चौनलों, वेबसाइटों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में हिन्दी आज प्रमुखता से उपस्थित है। इन सारे माध्यमों को हिन्दी की जरूरत भी है क्योंकि उन्हें हिन्दी के जरिये खरीददारों और उपभोक्ताओं के पास पहुंचने की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक आज भी इस देश में बमुश्किल 7% लोग अंग्रेजी का जीवन जीते हैं। इसलिए बाजार से जुड़े ये सारे माध्यम हिन्दी का उपयोग कर रहे हैं। हिन्दी बाजार की भाषा बने, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जरूरी यह है कि हिन्दी रोजी-रोटी, कारोबार की भाषा भी बने। चिंता इस बात की है कि हिन्दी का भाषायी स्तर दिनोंदिन गिर रहा है। अंग्रेजी के साथ घालमेल करके इसे विरूपित किया जा रहा है। समाचार माध्यमों का जबर्दश्त प्रसार तथा विस्तार हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां पर भाषा का कोई स्तर नजर नहीं आता। लेखन, उच्चारण से लेकर रिपोर्टिंग, सब में दोष हैं। व्याकरण, वर्तनी संबन्धी भाषागत दोष बहुत आम हो चले हैं। बल्कि यह कहें कि अब तो इस ओर ध्यान देना भी मुनासिब नहीं माना जाता।

सोशल मीडिया पर लेखकों, कवियों की अनियंत्रित बाढ़ है। हर कोई रच रहा है। वहां न तो कोई किसी को लेखन-कर्म बताने वाला है, न उसकी बारीकियां समझाने वाला। बारीकियों को सीखने की आखिर जरूरत ही क्या है। वहां तो सब विद्वान ही हैं। लेकिन जैसा कि हाल में एक विद्वान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर 90 प्रतिशत कूड़ा भरा पड़ा है। नयी पीढ़ी शुद्ध, सटीक तथा प्रांजल भाषा के अनुभव से करीब-करीब वंचित है। हिन्दी फिल्मों के नाम अब अंग्रेजी में रखे जा रहे हैं। हिन्दी फिल्मों के सितारे फिल्म समारोहों में अकसर अंग्रेजी में बोलते नजर आते हैं। बॉलीवुड के अधिकांश कलाकार कथित तौर पर प्रायः रोमन में लिखे संवाद पढ़कर बोलते हैं। विज्ञापन की दुनिया में

हिन्दी बड़े पैमाने पर प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में यत्र, तत्र, सर्वत्र देखी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, विशेष करके टी.वी. पर वस्तुओं तथा उत्पादों के हिन्दी विज्ञापन के वाक्य रोमन लिपि में लिखे जा रहे हैं। एक जमाने में अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की थी कि हिन्दी की लिपि, देवनागरी की जगह रोमन हो। लेकिन देश के भाषाप्रेमियों के प्रखर विरोध के चलते वे अपनी कुत्सित योजना में सफल न हो सके थे। जो चीज अंग्रेज नहीं कर सके, वह आजादी के बाद हमारे बीच के ही अंग्रेजीपरस्त इंडियन बखूबी कर रहे हैं। इन विज्ञापनों के जरिये वर्तमान पीढ़ी जिस तरह की हिन्दी सीख रही है, वह सही मायने में न तो ठीकठाक हिन्दी है, और न ही अंग्रेजी।

हिन्दी – लोक की, और तंत्र की

आधुनिक हिन्दी का भाषायी विकास पिछले दो सौ वर्षों के दौरान हुआ है। यह खास करके स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था। हिन्दी से लोगों को बड़ी-बड़ी आशाएं तथा अपेक्षाएं थीं। उनमें से सबसे बड़ी आकांक्षा एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज के निर्माण और विकास की थी जिसकी भाषा हिन्दी हो। इसका आशय यह है कि हिन्दी को एक बड़े लोकतांत्रिक समाज की जिंदगी, सोच-विचार और रचनाशीलता की भाषा के रूप में विकसित होना था। इसके लिए यह भी जरूरी था कि व्यापक हिन्दी क्षेत्र के भीतर विभिन्न क्षेत्रों की जो मातृभाषाएं हैं, उनसे हिन्दी का निकट का संबंध हो। तभी हिन्दी भाषा पढ़े-लिखे लोगों के साथ-साथ किसान, मजदूर, खेतिहरों तथा श्रमिकों की जिंदगी की भाषा बन सकती है। यह एक विडंबना है कि जो खड़ी बोली हिन्दी, आजादी के बाद साहित्य और सरकार के माध्यम से विकसित हुई, वह क्रमशः हिन्दी क्षेत्र की लोकभाषाओं से दूर होती गयी। इसलिए आज भी भारत के दूर-दराज के गांवों तथा कस्बों के लोग शासन, प्रशासन की हिन्दी को अपने करीब नहीं पाते। उन्हें वह प्रशासनिक हिन्दी अजनबी-सी लगती है। वे उससे वैसी निकटता अनुभव नहीं कर पाते, जैसी उन्हें अपनी मातृभाषाओं या बोलियों से होती है।

वैश्वीकरण के भाषागत फलितार्थ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वित्त, वाणिज्य, व्यापार, विनिमय, सब में अंग्रेजी को मजबूत करने में भूमिका निभायी है। समाज में अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ा है। उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के चलते कहा जाता है कि हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं की स्थिति वास्तव में कमजोर हुई है। कुछ अरसे पहले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि देश भर में बच्चों को पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाए। यह भारतीय भाषाओं के लिए बेहद नुकसानदायक था। दुनिया के सभी शिक्षाशास्त्रियों ने बुनियादी शिक्षा के लिए मातृभाषा की वकालत की है। लेकिन हमारे देश में आंग्ल भाषा के मोह के चलते यह सर्वमान्य तथ्य को भी नकारने की बात हो रही है। ऐसे में देश के बच्चे अपनी भाषा कब पढ़ेंगे। आज की उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होती जा रही है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी में ही हैं। विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, पराचिकित्सा, प्रबन्धन, वित्त, वाणिज्य, सभी के पाठ्यक्रम अंग्रेजी में हैं। भाषाओं को छोड़ दें तो करीब करीब सभी विषयों के शोध एवं विकास का काम अंग्रेजी में चल रहा है। देश को आजाद हुए 76 साल बीत गये लेकिन हम अभी तक अपने लिए उच्चशिक्षा का माध्यम अपनी भाषा को नहीं बना सके। यह औपनिवेशिक बोझ को लगातार ढोते जाने जैसा ही है।

इधर एक सुखद बात यह हुई है कि डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्यतः मातृभाषा में दिए जाने की संस्तुति की है। वर्तमान सरकार भारतीय भाषाओं के प्रति सचेष्ट है। उसे अंग्रेजियत के खतरे का आभास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मसौदे से फिर से उम्मीद जगी है कि हिन्दी सहित दूसरी भारतीय भाषाओं के लिए फिर से नयी संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। इससे बच्चे शुरू से ही घुटन के माहौल से मुक्त हो सकेंगे। उन्हें कम से कम

प्राथमिक स्तर पर लादी हुई भाषा से जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका परिणाम हमें कुछ साल बाद दिखना शुरू होगा जब हम उस पर अमल कर चुके होंगे।

हिन्दी के विमर्शों में ऐसा अकसर कहा जाने लगा है कि हिन्दी महज साहित्यिक भाषा बनकर रह गई है। हिन्दी में मौलिक तथा नवीन चिंतन, ज्ञान-विज्ञान से संबंधित नवाचार, का काम बहुत कम हो रहा है। समाज-विज्ञान, मानविकी से लेकर प्रकृति विज्ञान तक में किताबों और लेखों का अनुवाद ही दृष्टिगोचर होता है। हिन्दी में आज विज्ञान/तकनीकी की पत्रिकाएं पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। समाज-विज्ञान की पत्रिकाएं भी कम ही हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दी उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बन पा रही है। इस बारे में चीन और जापान से सीखा जा सकता है कि अपनी भाषा में भी विज्ञान तथा तकनीकी के सभी काम बखूबी किए जा सकते हैं। हमारे देश में जब तक ज्ञान-विज्ञान का काम अंग्रेजी में होता रहेगा, तब तक हिन्दी विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा की भाषा नहीं बन सकेगी। सरकारी कार्यालयों में हिन्दी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी तो उसका मंतव्य था कि सरकारी तंत्र और हिन्दीभाषी समाज उसे अपनी जिम्मेवारी के रूप में देखे। लेकिन अफसोस! वह प्रायः वार्षिक रस्म अदायगी का कार्यक्रम होकर रह गया है। यह एक यथार्थ है कि आज अंग्रेजी के दबदबे के सामने भारतीय भाषाएं संघर्ष कर रही हैं।

हिन्दी के पक्ष में एक बात मजबूती से जाती है, वह है देश में हिन्दी जानने, समझने तथा बोलने वालों की विशाल आबादी तथा उन हिन्दी प्रदेशों का विराट भूभाग। इसके अलावा देश से बाहर दुनिया के तमाम देशों में रह रहे हिन्दी के उत्थान के प्रति संकल्पित/कार्यरत लाखों-लाख हिन्दुस्तानी लोग। इसलिए आवश्यक है कि हम ज्ञान विज्ञान की हर विधा में हिन्दी की उपस्थिति के लिए जी जान से काम करें। हमारा हर छोटा बड़ा योगदान हिन्दी को बल प्रदान करेगा, उसके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जो भी शुभेच्छु जहां है, जैसे है, इस महायज्ञ में अपनी एक छोटी हवि दे तो निश्चित तौर पर हिन्दी देश ही नहीं, विदेशों में, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ तक में शिखर पर विराजमान होगी।

kkm@hbcse.tifr.res.in

विज्ञान कथा कोश

आईसेक्ट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित
हिन्दी में विज्ञान कथाओं का वृहद् संचयन

विश्व भर की विज्ञान कथाओं के साथ हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की विज्ञान कथाओं का हिन्दी में पहली बार प्रकाशन जिसमें 132 कथाकारों की 200 विज्ञान कथाएँ सम्मिलित हैं। विज्ञान कथा लेखन के महत्व को रेखांकित करता एक अद्वितीय महाकोश।
हिन्दी पाठकों के लिए यह एक अमूल्य सौगात है।

विज्ञान कथा कोश
प्रधान संपादक : संतोष चौबे
संपादक : शुकदेव प्रसाद
प्रकाशक : आईसेक्ट पब्लिकेशन
मूल्य : 3000/- (प्रत्येक खण्ड का मूल्य 500/-)
आईसेक्ट प्रकाशन से सीधे मंगवाने पर 25% की छूट

क्रय के लिए संपर्क :
महीप निगम
आईसेक्ट मुख्यालय स्कोप कैम्पस
एन.एच.-12 होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 8818883165, ई-मेल : mahip@aisect.org